

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं02(01)चिस्वा / 2 / 23 / EFILE-26670

जयपुर, दिनांक:

निदेशक(जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर।

विषय:—डा0 बंशीधर वर्मा प्रमुख विशेषज्ञ (दन्त) ई.एस.आई. चिकित्सालय रींगस को विभागीय जांच लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि डा0 बंशीधर वर्मा प्रमुख विशेषज्ञ (दन्त) (जन्म तिथि— 20.04.1964) ई.एस.आई. चिकित्सालय रींगस अधिवार्षिकीय आयु 60 वर्ष पूर्ण कर दिनांक 30.04.2024 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, के विरुद्ध :—

- 1— राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2— राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3— कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डाँ0 वर्मा के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है भी सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(निशा मीना)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1—निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलेफेयर विभाग, जयपुर।
- 2—मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
- 3—प्रभारी, ई.एस.आई. चिकित्सालय रींगस।
- 4—डा0 बंशीधर वर्मा प्रमुख विशेषज्ञ (दन्त) ई.एस.आई. चिकित्सालय रींगस।
- 5—प्रभारी, सर्वर रूम निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर।
- 6—रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6868831

शासन संयुक्त सचिव

Document certified by NISHA MEENA
<nisha281073@yahoo.co.in>

Digitally Signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government

Date :01-05-2024 01:33:43

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./बी-590/2024/101

दिनांक : 3/5/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राज0 जयपुर को उनके पत्रांक प02(01)चिस्वा/2/2023/ई-फाईल-26670 जयपुर दिनांक 01.05.2024
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि चिकित्सक के विरुद्ध आप अपने कार्यालय स्तर पर विभागीय जांच बकाया/विचाराधीन के संबंध में जांच कर लेवें।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटी/डीपीसी (राजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय ।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करे ।
7. डॉ0 बंशीधर वर्मा, प्रमुख विशेषज्ञ (दन्त), ई.एस.आई. चिकित्सालय रिंगस द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
6948719



Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash
Sharma
Designation : Additional Director
Date: 2024.05.03 11:53:57 IST
Reason: Approved